

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बीजापुर
(छत्तीसगढ़)

क्रमांक 917 / कले0 / रीडर / 2016
प्रति,

बीजापुर,

दिनांक 06/04/2016

सेनानी,

15वीं वाहिनी बटा.(भा./र)

छसबल पोस्ट, पुराना पुलिस लाइन
जिला-बीजापुर ।

विषय :- जिला बीजापुर के ग्राम धनोरा में सेनानी 15वीं बटा.(भा./र.) छसबल पोस्ट
स्थापित करने हेतु वन भूमि के स्थानांतरण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम
1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रदर्श "ब" एवं कंडिका-28 के सम्बन्ध में ।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 15वीं बटा./भा0र0/छसबल/बीजा/सा0अ0/एम/1775/
16, दिनांक 21/03/2016 ।

—:000:—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में सेनानी 15वीं बटा.(भा./र.) छसबल पोस्ट
स्थापना कार्य हेतु ग्राम ग्राम पंचायत धनोरा, के ग्राम पंचायत सरपंच की अध्यक्षता में ग्रामसभा
की बैठक आहुत कर कार्यवाही विवरण प्रदर्श "ब" एवं कंडिका क्रमांक-28 की कार्यवाही ग्राम
सभा में उपस्थित जनों से पूर्ण कराकर प्रदर्श-"स" एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूलतः प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

पृ0क्रं0 917 / कले0 / रीडर / 2016
प्रतिलिपि :-

बीजापुर,

कलेक्टर
जिला बीजापुर
दिनांक 06/04/2016

1. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल बीजापुर को सूचनार्थ ।
2. वन मण्डलाधिकारी, इंद्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर को सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला बीजापुर

न्यायालय कलेक्टर बीजापुर, जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)

—:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::—

क्रमांक 917 / कले0 / रीडर / 2016

बीजापुर,

दिनांक 06/04/2016

प्रमाणित किया जाता है कि सेनानी 15वीं बटा.(भा./र.) छसबल पोस्ट की स्थापना हेतु ग्राम धनोरा प0ह0नं0 26 राजस्व निरीक्षक मंडल/तहसील बीजापुर जिला बीजापुर स्थित वन भूमि खसरा नं0 231 में रकबा 9.853 हेक्टेयर अन्य वन मद की भूमि प्रस्तावित की गई है उक्त भूमि स्थल रिक्त है । इस भूमि पर वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन किसी भी व्यक्ति को वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है और न ही उक्त भूमि पर वन अधिकार पत्र बाबत कोई नवीन दावा प्राप्त हुआ है ।

अतएव उपरोक्त प्रस्तावित भूमि सेनानी 15वीं बटा.(भा./र.) छसबल पोस्ट पुराना पुलिस लाईन बीजापुर को हस्तांतरण के संदर्भ में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्वनीकरण की कार्यवाही हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

पृ0क्रमांक / 917 / कले0 / रीडर / 2016
प्रतिलिपि :-

बीजापुर,

रायपुर

06/04/2016

1. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बीजापुर को सूचनार्थ ।
2. वन मण्डलाधिकारी, इंद्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर को सूचनार्थ ।
3. सेनानी, 15वीं बटा.(भा./र.) छसबल पोस्ट पुराना पुलिस लाईन बीजापुर को सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला बीजापुर

प्रमाण-पत्र

सेनानी, 15वीं वाहिनी बटा.(भा./र.) छसबल पोस्ट पुराना पुलिस लाईन बीजापुर को बीजापुर वन मण्डल परिक्षेत्र के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ग्राम पंचायत धनोरा में स्थित खसरा नं० 231 में रकबा 9.853 हेक्टेयर अन्य वन मद की भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि कुल रकबा 9.853 हेक्टेयर है, तथा ग्राम धनोरा तहसील बीजापुर में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है। ग्राम पंचायत की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव (प्रदर्श-“अ”) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“ब”) पर दर्शित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि, उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत धनोरा के सरपंच की अध्यक्षता में बैठक हुई एवं इसमें 75% प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)
01	धनोरा	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका अधिकारी “अनुसूचित जन जाति एवं परंपरागत वन

निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा है ।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक 4/04/2016

नाम

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति

जिला.....

(सील)

ग्राम सभा धनोरा की बैठक दिनांक 22-01-2016 का

::कार्यवाही का विवरण::

ग्राम: धनोरा

दिनांक 22-1-16

स्थान: धनोरा

आज दिनांक 22-01-16 को ग्राम धनोरा के सरपंच श्री/श्रीमती संजीता मोंझी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 75% प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

01. ग्राम धनोरा में आवेदक (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावत् विस्तृत चर्चा की गयी।
02. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
03. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि..... के गठन हेतु व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि हे0
असीमांकित संरक्षित/नारंगी वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु को अन्य
प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यववर्तित की जावें।

हस्ताक्षर
नाम
सरपंच
सील

उपस्थित सदस्य गण :-

क्रमांक नाम

हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

- ① श्री पार्षदा दपरा -
- ② श्रीमती पार्वती -
- ③ श्री बलराज -
- ④ श्री बलदेव -
- ⑤ श्री ममलू -
- ⑥ श्री नागा -
- ⑦ श्री अमर -
- ⑧ श्री पेरिया -

पार्षदा
पार्वती
Bulraj
Buldev
Mamalu
Naga
Amar
Periya

::ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थित पंजी::

01. ग्राम पंचायत का नाम.....धनोरा.....
 02. ग्राम सभा का नाम.....धनोरा.....
 03. सम्मिलन का तारीख.....२२-०१-२०१६.....
 04. सम्मिलन का स्थान.....पंचायत भवन.....
 05. सम्मिलन का समय.....११-३० बजे.....

अनुक्रमांक (01)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (02)	सदस्यों के हस्ताक्षर (03)
01	पापैया हपका	पापैया
02	संजू तेलम	संजू
03	अंजू तेलम	अंजू
04	मधुरा भागल	मधुरा
05	ललिता तेलम	ललिता
06	कमला गलांडी	Kamla
07	अनिल कुडियम	Anil K.
08	मुन्ना तेलम	मुन्ना
09	भीम राव कुडियम	Bhim R.
10	बलदेव तेलम	Baladev
11	माण्डो राम कुडियम	Mano R.
12	मंगलू तेलम	मंगलू
13	विजय नम्बोल्ले	Vijay N.
14	मास्का राम तेलम	Masaka R.
15	लक्ष्मण तेलम	Lakshman

—:अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

प्रमाणित किया जाता है कि, सेनानी 15^{वीं} बटा0 (भा0र0) छसबल बीजापुर जिला बीजापुर (छ0ग0) द्वारा बीजापुर वन मण्डल परिक्षेत्र के ग्राम धनोरा वन भूमि इन्द्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र ग्राम— धनोरा खसरा नंबर 231 रकबा 9.853 हेक्टेयर वन भूमि में सेनानी 15^{वीं} बटा0 (भा0र0) छसबल पोस्ट स्थापित हेतु वन भूमि प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत धनोरा को कोई आपत्ति नहीं है।


सरपंच
ग्राम पंचायत धनोरा
जिला बीजापुर (उ.ग.)
ग्राम पंचायत ...धनोरा.....
विकास खण्ड ...बीजापुर.....